

09
2.20PM
10.11.2020

प्रलेप 2वा
(नियन 4 देरि

नाम निर्देशन

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्त्री
परिषद निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की



वाच-



भाग-1

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिये
इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम - **द्वादशनम्**

(पिता/माता/पति का नाम) **प्रियजामुद्दीन**

उसका दाक पता भूमान स्ट्रीप ट्रैनिंग एंड लाइब्रेरी (प्रियजामुद्दीन)

उसका नाम **३२० लोला पी** विधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या **३७६**
में क्रम संख्या **११८** पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम नलदाता हैं और हमारे नाम इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक
रूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	149	नृनाथ सिंह		10.11.2020
2	149	श्रीललिता सिंह		10.11.2020
3	149	विरेन्द्र सिंह		10.11.2020
4	149	नीति चौहान		10.11.2020
5	149	आरती शामी		10.11.2020
6	149	अम्बिली पटेश्या		10.11.2020
7	149	रघुनाथ मिश्र		10.11.2020
8	149	पहुलवी अहुरथा		10.11.2020
9	149	सुरभि लवेक्ष		10.11.2020
10	149	स्त्राति ठामा		10.11.2020

* प्रस्थापक निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है,
- (ख) मैंने 43 वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
- (ग) मैं इस निर्वाचन में बुद्धेल उपायित (पंजीयन) दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ
- (घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ब्रिटिश (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊँगा।

तारीख 10.11.2020

Shabnam
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

भाग-2
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -	
(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -	नहीं
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए , या	
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,	
सिद्धदोष ठहराया गया है , या	हाँ/नहीं
(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,	नहीं
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित	
किया गया है।	
यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :	
(i) नामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक	लागू नहीं होता है
(ii) पुलिस थाना (थाने) <u>लागू नहीं होता है</u> जिला (जिले) <u>लागू नहीं होता है</u>	
(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा. (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त	
विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था <u>लागू नहीं होता है</u>	
(iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) <u>लागू नहीं होता है</u>	
(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था <u>लागू नहीं होता है</u>	
(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें	
(vii) <u>लागू नहीं होता है</u>	
कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) <u>लागू नहीं होता है</u>	
(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गये	
थे : हाँ/नहीं <u>लागू नहीं होता है</u>	
(ix) फाइल की गयी अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख <u>लागू नहीं होता है</u>	
(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण	
आवेदन फाइल किए गये थे <u>लागू नहीं होता है</u>	
(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे	
लंबित हैं <u>लागू नहीं होता है</u>	
(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-	
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) <u>लागू नहीं होता है</u>	
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) <u>लागू नहीं होता है</u>	

- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?
.....भही.....(हां/नहीं)
—यदि हां, धारित पद के बौरेनहीं.....
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?नहीं.....(हां/नहीं)
—यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया हैभही.....
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुष्ठति के अधीन है?भही.....(हां/नहीं)
—यदि हां, और दीजिएलागू होती है।
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है?
.....नहीं.....(हां/नहीं)
—यदि हां, निरहित किए जाने की अवधिलागू रही है।
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभवित के लिए पदच्युत किया गया है?नहीं.....(हां/नहीं)
—यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीखलागू रही है।
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएँ) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?नहीं.....(हां/नहीं)
—यदि हां, तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के बौरेनहीं.....
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?नहीं.....(हां/नहीं)
—यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरेलागू रही है।
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है?भही.....(हां/नहीं)
—यदि हां, निर्हन की तारीखलागू होती है।

स्थान : आगरातारीख : 17-11-20Shabnam
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 09

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय न्यायालय कक्ष, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी में 10.11.2020

..... (तारीख) को 2.20 PM (बजे) अभ्यर्थी / प्रस्थापक धृष्टदेव

..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 10.11.2020


रिटर्निंग आफिसर

भाग-4

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विवरण

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विवरण देता हूँ :—

तारीख 10-11-2020

रिटर्निंग आफिसर

भाग-5

नामनिर्देशन—पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन—पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक 09 का, जो उत्तरपूर्वक  राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु इलाहाबाद-झाँसी रेलवे स्नातकों / अध्यापकों / स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन—क्षेत्र से अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन—पत्र मुझे / मेरे कार्यालय में 10-11-2020 (तारीख) को 2-20 PM (बजे) अभ्यर्थी / प्रस्थापक धृष्टदेव (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी नामनिर्देशन—पत्रों की संवीक्षा 13-11-2020 (तारीख) को 11-00 AM (बजे) इलाहाबाद-झाँसी रेलवे स्नातक (स्थान) में की जाएगी।

तारीख 10.11.2020


रिटर्निंग आफिसर
रिटर्निंग आफीसर

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक
परिषद निर्वाचन—क्षेत्र (झाँसी)

टिप्पण :— जहां अनुकूल्य दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

प्रृष्ठ 26

(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन-क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए रिटर्निंग आफिसर के समस्त अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं ग्राहनम् पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निधामुखी.....आयु 43.....वर्ष, जो(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैंलोक २१४३ भावित दल (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
("जो लागू न हो उसे काट दें")

(2) मेरा नाम २२८ विधान सभा वालपा ३०५८ क्रम सं. १७८ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे सपके दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं औरलोक रही हैमेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

(i)लाइन रही होता है

(ii)लाइन रही होता है

(iii)लाइन रही होता है

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिष्टता:

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर - विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	FHN PS 34 90 D	लाइन रही होता है	लाइन रही होता है
			लाइन रही होता है	लाइन रही होता है
			लाइन रही होता है	लाइन रही होता है

Shabnam
6/11/176

			लागू-ही होता है	प्रयोग (iv)
			लागू-ही होता है	प्रयोग (v)
2.	पति या पत्नी	AUXPN	लागू-ही होता है	लागून्ही (i)
		5427E	लागू-ही होता है	लागूरही (ii)
			लागू-ही-होता है	लागूरही (iii)
			लागू-ही होता है	लागूरही (iv)
			लागू-ही होता है	लागूरही (v)
3.	हिंदू अविवक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागू-ही होता है
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (i)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (ii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iv)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (v)
4.	आश्रित - 1	लागूरही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (i)
		लागूरही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (ii)
		लागूरही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iii)
		लागूरही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iv)
		लागूरही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (v)
5.	आश्रित - 2	लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (i)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (ii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iv)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (v)
6.	आश्रित - 3	लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (i)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (ii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iii)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (iv)
		लागू-ही होता है	लागू-ही होता है	लागूरही (v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आजापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।



Shabnam

स्थान नं० १०६ दक्षिणी १०१ कुदस्ता श्रीमती शब्दनम पल्ली श्री निजामुद्दीन
साकिन मुहरला टृननगंज कालपी परगना कालपी जिल्हा जालोन को क्षेत्र

जिल्हा क्षेत्र
२६-९०-२०२०

जिल्हा क्षेत्र
जिल्हा क्षेत्र
जिल्हा क्षेत्र
जिल्हा क्षेत्र
जिल्हा क्षेत्र

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2020
33AF 987772



प्रश्न 26
(नियम 4 के देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं श्रवन गु... मुत्रा/सुत्रा/पत्नी... निजामुद्दीन... आयु 43... वर्ष, जो..... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

२१ दृष्टनगर नाली (पुनर्नाली) ३०५०

- (1) मैं बृद्ध २९८३ लाइन दल (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं। ("जो लागू न हो उसे काट दें")
- (2) मेरा नाम २२७ विद्यान सभा (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ३७६ के नम सं १७४ पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा सं ९५३२५९२२०९

(5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)
- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: **लागू रही होता है**
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिह्नांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यांकर दें)

सारणी


(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पठे के साथ प्रथम इकाई रिपोर्ट सं.	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ग)	अंतर्विलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(घ)	आपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(च)	यदि उपरोक्त गद (ङ) के सामने उत्तर हाँ है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फार्डल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है

(6) दोषसिद्धि के मामले:-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

Shabnam



(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू-हो दोता है
 (यदि अन्यथा दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (I) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यारे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू-हो दोता	लागू-हो दोता	लागू-हो
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू-हो दोता	लागू-हो दोता	लागू-हो सम
(ग)	अंतर्वलित आधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड सहिता, आदि की धारा.....)	लागू-हो दोता है	लागू- हो दोता है	लागू-हो दोता है
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू-हो दोता है	लागू-हो दोता है	लागू-हो दोता है
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीख	लागू-हो दोता है	लागू-हो दोता है	लागू-हो
(च)	अधिरोपित दंड	लागू-हो दोता		
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू-हो दोता है	लागू- हो दोता है	लागू-हो दोता है
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यारे तथा वर्तमान प्राप्तियाँ दें	लागू-हो दोता है	लागू-हो दोता है	लागू- हो दोता है

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दें दी है।

[ऐसे अन्यथियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(l) और पैरा 6(l) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

Shabnam

टिप्पणी:

1. व्यांकर स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रदिष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद्द के सामने विभिन्न स्तरों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए व्यांकर पृथक रूप से दिए जाएं।
3. व्यांकर विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएँ देने का उत्तरदायी होंगा।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के व्यांक लीचे देता हूँ:

A. जंगम आस्तियों के व्यांक :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यांक दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गेर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विद्युत द्वारा, अधिग्रहित है(है), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित व्यांक प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकहात्या दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - व्यांकों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी देंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के व्यांक और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के व्यांक अधिग्रहित हैं;

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवाहित कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	4035832380	लघु-द्वीपीयां	लालूर्ती	लालूर्ती	लालूर्ती	लालूर्ती

(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	5332 10,000	6155 15,000	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचर्स/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के व्यौरे और रकम	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	95059	लागू रही दोसरी				
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक क्रण/अधिम और क्रणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/वाच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (आर और मूल्य के व्यौरे)	10,000 2 हल्ला	लागू रही दोसरी				
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी
(ix)	सकल कुल मूल्य	250749	53535	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी	लागू रही दोसरी

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागू एवं क्षेत्र	328 243	लागू एवं दोला	लागू एवं दोला	लागू एवं दोला	लागू एवं दोला
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू एवं क्षेत्र	2.28	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू-एवं क्षेत्र	लागू-एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू-एवं क्षेत्र	लागू एवं क्षेत्र	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला	लागू-एवं दोला

Shabnam

(vi)	पूर्वकत (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	३८२ दोहरा	१८०५ राष्ट्रीय	३४७८ दोहरा	३४७८ दोहरा	३४७८ दोहरा	३४७८ दोहरा
------	--	--------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

• (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूः:-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मट के समक्ष रकम के द्वारों का अलग-अलग विवरण दें)

9

Shabnam

		किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं
		स्वयं	पति/पत्नी	हिन्दू अतिभ्रक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-
(v)	जीएसटी शोध्य	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-
(vii)	कोई अन्य शोध्य	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-	लाइ-ट्री लाइ-
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं	लाइ-ट्री दोस्त हैं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं लाइ-ट्री दोस्त हैं
(ख) पति या पत्नी लाइ-ट्री दुकान

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरो-

- (क) स्वयं लाइ-ट्री दोस्त हैं
(ख) पति या पत्नी लाइ-ट्री दुकान

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हैं..... लाइ-ट्री दोस्त हैं

(9ख). समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएँ-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... लाइ-ट्री दोस्त हैं

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... लाइ-ट्री दोस्त हैं

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... लाइ-ट्री दोस्त हैं



- (ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे...लालू नहीं होता है
- (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं...लालू नहीं होता है
- (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है...लालू नहीं होता है

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिए अनुसार है:-

प्रोफेसनल शैक्षणिक विद्यालय लालू

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

Shabnam



आग-ख

(11) आग-ख के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अध्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. २१८८-नम					
2.	डाक का पूरा पता	२९ ट२१-१३१८ लालपुरा पुलापांगा					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३०१८१८५-सार्वजनिक निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र					
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	बुन्देलखण्ड नार्यांत दल					
5.	लंबित आपाराधिक मामलों की कुल संख्या	३०१८१८५ है					
6.	ऐसे मामलों वी कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया हैं।	३०१८१८५ होता है					
7.	स्थायी लोका सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है					
	(क) अध्यर्थी	FHNP53490D					
	(ख) पति या पत्नी	AUXPN5427E					
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	३०१८१८५ होता है					
	(घ) आन्ध्र	३०१८१८५ होता है					
8.	आस्तियां और दायित्वां (अपतट आस्तियां सहित) के उपर्यां में ब्यौरे-	३०१८१८५ होता है					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आन्ध्र-1	आन्ध्र-2	आन्ध्र-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	२५०७४९	५३५३५	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है
ख.	स्थावर आस्तियां						
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रम कीमत	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है
II.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागत हो)	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है	३०१८१८५ होता है

Shabnam



	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
	(क)	स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
	(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागूर्वी दोहरा है	श्रमावधि भाषण	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
9.		दायित्व						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है	लागूर्वी दोहरा है
11.		उच्चतम शैक्षणिक अहिता : पोस्ट ग्रेजुएशन सन् २००३ द्वृ-इलम्बन विश्वविद्यालय एवं (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी	पोस्ट ग्रेजुएशन सन् २००३ द्वृ-इलम्बन विश्वविद्यालय एवं	प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी	प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी	प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी	प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी	प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यापर दें।) लागूर्वी

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भ्रान्ति मिथ्या नहीं है तथा इस से कोई भी तात्पर्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

Shabnam

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 07/11/2010 को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी
07/11/2010

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को क्षरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

Shabnam



Shabnam
07/11/2010
Notary Public (Jalsun)
A No - 149 F 17 Jalsun
07/11/2010